12/5/25

पत्रावली पाबन्दी डिक्री पेश हुई। वकील वादी उप० वाद
वादी स्वीकार किया जाता है। विवेचन डिक्री अलग से
लिखकर जारी शामिल किया जाकर डिक्री जारी हो। बंडल-
दे कर हो।

डिक्री सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/693

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:02:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण नं. 342/2024 (RCMS:-2024/693) दायरा दिनांक 11.11.2024

1. आशाराम } पुत्रगण श्योनारायण अकवाम जाट निवासीयान लधेर
2. शंकरलाल } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. रुपराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी लधेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
2. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर कृषि विकास शाखा, सूरतगढ़।

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 207, 209 आर.टी.ए.

उपस्थित :–

1. श्री कुलविन्द्रसिंह एडवोकेट – वादी
2. पेरोकार राज नायब तहसीलदार – प्रतिवादी

–:: निर्णय ::– **दिनांक :–** 12.05.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादीगण ने यह दावा पेशकर निवेदन किया कि वादीगण के नाम संयुक्त खाता में वाके रोही लधेर पटवार हल्का कोनपालसर की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता संख्या 106/1764 के खसरा नं. 13 में 13.114 हैक. बारानी प्रथम व खसरा नं. 17 में 3.263 हैक. बारानी प्रथम इस प्रकार कुल 16.377 हैक. बारानी प्रथम भूमि हिस्सानुसार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त जैरवाद रकबा वादीगण के दादा रेड़ाराम पुत्र तुलछाराम से विरास्तन में वादीगण के पिता को प्राप्त हुआ व उनके बाद में वादीगण को प्राप्त हुआ है। उक्त जैरवाद रकबा पर वादीगण के दादा रेड़ाराम ने अपने जीवनकाल में तमाम भूमि पर प्रतिवादी नं. 2 से सन् 197[illegible] [illegible] संख्या 889 से बैंक ऋण लिया हुआ था। जिसका भुगतान [illegible] [illegible] द्वारा उसी समय कर दिया गया था, तथा बैंक से रहन मुक्त [illegible] [illegible] प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्राप्त कर पटवारी हल्का को उक्त रकबा रहनफक क[illegible] हेतू दिया था, परन्तु पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:32:55 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हल्का द्वारा रहनमुक्त का इन्तकाल दर्ज नही किया गया, तथा तमाम रकबा आज भी बैंण के रहन दर्ज चला आ रहा है। वादीगण द्वारा अपना रकबा रहनमुक्त करवाने हेतू प्रतिवादी नं. 2 से अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) का कहा गया तो प्रतिवादी नं. 2 ने यह कहकर वादीगण को वापिस भेज दिया कि उस समय ऑफलाईन प्रक्रिया अपनाई जाती थी। जिसका रिकॉर्ड अब उपलब्ध नही है। इसलिए आपको अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्रदान नही की जायेगी। इस पर वादीगण ने तहसील हाजा में आकर जरिये प्रार्थना पत्र बैंक रहन का नोट हटवाने बाबत तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमान् जी द्वारा नियमानुसार जांच कर अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) देने हेतू आदेश दिया गया, परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नही हुई है। वादीगण ने तहसीलदार साहब सूरतगढ़ की अदालत में हाजिर होकर जमाबन्दी में अंकित बैंक रहन का नोट हटाने के लिए सम्पर्क किया तो श्रीमान् जी ने बिना अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) के रहन का नोट हटाने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया व कहा कि आप उचित अदालत में वाद प्रस्तुत करके रहन मुक्त करवा लेवे इसी इन्कारी की वजह से वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये पंजीकृत एवं साधारण सम्मन तलब किया गया। पत्रावली तलबी होकर दिनांक 14.01.2025 को पेश हो। दिनांक 02.04.2025 को जबाब स्टेट पेश किया गया, शामिल मिसल रहे। दिनांक 28.04.2025 को प्रतिवादी नं. 2 बावजूद सम्मन तामिल उपस्थित नही आये है। प्रतिवादी नं. 2 को बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद कोई उपस्थित नही आया है। इनकी एक्स पार्टी की जाती है। वादीगण ने उपस्थित होकर ब्यान शपथ पत्र पेश किया, शामिल मिसल रहे। जिरह शुन्य रही। साक्ष्यवादी बन्द किये जाते है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 02.05.2025 को पेश हो। दिनांक 02.05.2025 को बहस सुनी गई।

अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर साबित होता है कि वाके रोही लधेर पटवार हल्का को[illegible] की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता संख्या 106/1764 के खसरा नं. 13 में [illegible].11 हैक. बारानी प्रथम व खसरा नं. 17 में 3.263 हैक. बारानी प्रथम इस प्रकार कुल [illegible] हैक. बारानी प्रथम भूमि पर

लगातार पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:02:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादीगण के दादा रेड़ाराम पुत्र तुलछाराम ने प्रतिवादी नं. 2 से सन् 1979 में खाता संख्या 889 से बैंक ऋण लिया हुआ था। जिसका भुगतान वादीगण के दादा रेड़ाराम द्वारा उसी समय कर दिया गया था, तथा बैंक से रहन मुक्त बाबत अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्राप्त कर पटवारी हल्का को उक्त रकबा रहनफक करने हेतू दिया था, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा रहनमुक्त का इन्तकाल दर्ज नही किया गया, तथा तमाम रकबा आज भी बैंण के रहन दर्ज चला आ रहा है। इसलिए प्रतिवादी नं. 2 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर कृषि विकास शाखा, सूरतगढ़ का जमाबन्दी में अंकित मुर्तहिन नोट के स्थान पर रहनफक किया जाना उचित समझते है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके रोही लधेर पटवार हल्का कोनपालसर की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता संख्या 106/1764 के खसरा नं. 13 में 13.114 हैक. बारानी प्रथम व खसरा नं. 17 में 3.263 हैक. बारानी प्रथम इस प्रकार कुल 16.377 हैक. बारानी प्रथम भूमि पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर कृषि विकास शाखा, सूरतगढ़ का अंकित मुर्तहिन नोट के स्थान पर रहनफक किया जावे व इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक जिलाधीश
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:02:55 IST
Reason: SelfAttested

—: डिक्री ब मुक्द्दम इख्तदाई :—

(ओ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़

बइजलास — सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

1. आशाराम
2. शंकरलाल

} पुत्रगण श्योनारायण अकवाम जाट निवासीयान लधेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

3. रुपराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी लधेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.। — वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
2. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर कृषि विकास शाखा, सूरतगढ़। — प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 207, 209 आरटीए मुकदमा नं. 342/2024 यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादी श्री कुलविन्द्रसिंह पेश होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :—

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके रोही लधेर पटवार हल्का कोनपालसर की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता संख्या 106/1764 के खसरा नं. 13 में 13.114 हैक. बारानी प्रथम व खसरा नं. 17 में 3.263 हैक. बारानी प्रथम इस प्रकार कुल 16.377 हैक. बारानी प्रथम भूमि पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर कृषि विकास शाखा, सूरतगढ़ का अंकित मुर्तहिन नोट के स्थान पर रहनफक किया जावे व इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज ....X........... मुबलिग ....X........... बाबत् ....X........... खर्चा इस मुकदमें मय शूद्व बशरह ....X........... कस्दो की पालना ....X...........आज कि तारीख से तारीख बसूलया वो ताकी अदा करे

बसिब्त मेंरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12.05.25 को जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:02:55 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)